

24/8

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांक:-बीकेजेड/2522:89/ले.आ.प्लान/2021/हनुमानगढ़/ 2034 दिनांक: 21/01/2022
आयुक्त,
नगर परिषद,
हनुमानगढ़।

विषय :- चक 51 एन.जी.सी. पत्थर नं. 129/255 मुरब्बा नं.11 के किला नं. 5/4, 6/2 प.नं. 130/255 मुरब्बा नं. 12 किला नं. 1/1, 2/12/3, 9, 10/2, 11/2, 12, 18/1, 19/2 व 20/2 की कुल 1.5311 हैक्टर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 4582 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा बलजिन्द्र सिंह, श्री कुलविन्द्र पिसरान श्री नक्षत्र सिंह चक 51 एन.जी.सी. पत्थर नं. 129/255 मुरब्बा नं.11 के किला नं. 5/4 (0.0693), 6/2 (0.0058) प.नं. 130/255 मुरब्बा नं. 12 किला नं. 1/1 (0.228), 2/12/3 (0.088), 9 (0.152), 10/2 (0.2324), 11/2 (0.1416), 12 (0.253), 18/1(0.063), 19/2(0.253) व 20/2 (0.0451) की कुल 1.5311 हैक्टर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आउट स्वीकृति बाबत प्रकरण प्राप्त हुआ है। हनुमानगढ़ मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग सड़क के किनारे मिश्रित व शेष चिकित्सा संस्था प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ़ टाऊन -सतीपुरा रोड पर स्थित हैं, जिसकी चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट निर्धारित हैं। मास्टर प्लान में उक्त सड़क के समानान्तर पश्चिमी ओर मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया हैं। प्रसांगिक पत्र द्वारा भवन विनियम - 2020 के बिन्दु सं. 21 (6)(i) का उल्लेख करते हुए संपूर्ण भूमि का वाणिज्यिक ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि का लगभग 60 प्रतिशत भू-उपयोग मिश्रित प्रयोजनार्थ तथा शेष भाग चिकित्सा संस्था प्रयोजनार्थ प्रावधानित हैं। मास्टर प्लान रिपोर्ट अनुसार मिश्रित भू-उपयोग पट्टी की चौड़ाई सड़क की 1.5 गुणा गहराई तक प्रस्तावित हैं तथा यदि भूखण्ड/स्थल की गहराई का 60 प्रतिशत या इससे अधिक मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है और शेष स्थल की गहराई अन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत आती है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण स्थल या भूखण्ड मिश्रित भू-उपयोग अनुज्ञेय किया जाकर तदानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। प्रसांगिक पत्र द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि पटवारी द्वारा अंकित रिपोर्ट अनुसार "मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 51 एन.जी.सी. के नक्शे व जमाबंदी अनुसार आवेदक बलजिन्द्र सिंह कुलविन्द्र सिंह की कृषि भूमि एवं सड़क के मध्य अन्य काश्तकार की भूमि नहीं हैं, मध्य में स्थित भूमि सड़क की हैं।" प्रश्नगत भूमि आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में राजस्व रास्ता स्थित हैं, जिसे योजना मानचित्र में 60 फीट कायम किया गया हैं।

प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 164787.57 वर्गफीट बताया गया है, जिसमें वाणिज्यिक भूखण्ड/शोरूम का क्षेत्रफल 80851.91 वर्गफीट (49.06 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 3333.42 वर्गफीट (2.03 प्रतिशत), सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल 8252.60 (5.01 प्रतिशत), पार्क का क्षेत्रफल 8251.00 वर्गफीट (5.01 प्रतिशत), सड़क का क्षेत्रफल 46464.73 वर्गफीट (28.19 प्रतिशत) एवं पार्किंग का क्षेत्रफल 17633.91 वर्गफीट (कुल योजना भाग का 10.70 प्रतिशत) (वाणिज्यिक भूखण्डों के क्षेत्रफल 10.00 प्रतिशत तथा शेष मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित भूखण्डों के आगे पार्किंग क्षेत्र) प्रस्तावित किया गया है।

अतः प्रस्तुत संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "एच" के अन्तर्गत कुल भूमि 164787.57 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिषंशा की जाती है:-

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. आवेदित भूमि के पूर्वी दिशा में विद्यमान मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी रोड के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क प्रयोजनार्थ छोड़ते हुए एवं उत्तरी दिशा में गुजर रहे राजस्व रास्ते पर 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित करते हुए सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क प्रयोजनार्थ छोड़ते हुए योजना का क्रियान्वन किया जाना होगा। आवेदित भूमि में से उक्त सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवश्यक भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जाना होगा। सड़को के अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
3. पत्रावली संलग्न दस्तावेजानुसार आवेदित भूमि के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा आदेश दिनांक 16.12.2021 को जारी हैं। जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र अनुसार मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 12 के आंशिक भाग में गैर मुमकिन

255

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

- कुआं दर्शाया गया है। आप द्वारा संपूर्ण आवेदित भाग की 90-क के आदेश जारी किये गये हैं। अतः उक्त गैर मुमकिन कुआं किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में न हो, की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है। यदि यह भाग प्रतिबंधित क्षेत्र में है तो उक्त भाग को छोड़ते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जावे।
4. योजना में दर्शाये गये व्यावसायिक भूखण्डों पर सैटबैक विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार छोड़े जाने होंगे एवं अन्य सभी मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जाने होंगे जिनकी सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
 5. अनुमोदित योजना मानचित्र में जन सुविधा क्षेत्र/पार्क/पार्किंग/सड़क हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार सम्बन्धित स्थानीय निकाय को समर्पित की जानी होगी।
 6. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण सुविधा क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।
 7. अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाऊनशिप पॉलिसी-2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों अनुसार किया जावेगा।
 8. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर परिषद को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
 9. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
 10. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाऊनशिप पालिसी 2010 के प्रावधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 अनुसार किया जावे।
 11. योजना क्षेत्र यदि विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
 12. आवेदित योजना क्षेत्र के मध्य से गुजर रहे सिंचित खाले की निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा जिसकी सुनिश्चितता न्यास स्तर पर अपेक्षित है।
 13. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है, की सुनिश्चितता निकाय द्वारा की जावे।
 14. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद-विवाद व भू-स्वामित्व की जाँच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि अथवा राजकीय भूमि का भाग प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
 15. इस कार्यालय द्वारा ले-आऊट प्लान का केवल तकनीकी अनुमोदन कर भिजवाया जा रहा है। अतः उक्त प्रकरण के क्रियान्वयन से पूर्व नए 90 ए के नियमों के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक कार्यवाही शेष है तो उसकी सुनिश्चितता तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.01.2017 को गुलाब कोठारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार की सिविल रिट संख्या 1554/2004 के आदेशानुसार किसी प्रकार की विधिक रोक न होने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से की जानी आवश्यक होगी।
 16. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावे एवं यदि इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र व खसरा ट्रेस के अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

उक्त राय निकाय से प्राप्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रदान की गई है।

संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियाँ

भवदीय,

वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

2/2

सम्पर्क - भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ़, बीकानेर - 334001, दूरभाष संख्या 0151-2542102,

ई-मेल आईडी - townplanningbikaner@rediffmail.com

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

कार्यालय नगरपरिषद्, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक: एफ 8 भूमि () 2022/4

कार्यालय आदेश

दिनांक : 27/04/2022

नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के द्वारा चक नं. 51 एनजीसी पत्थर नं. 129/255 मु.नं. 11 किला नं. 5/4 (0.0693), 6/2/(0.0058) पत्थर नं. 130/255 मु.नं. 12 किला नं. 1/1/(0.228), 2/1+2/3 (0.088), 9 (0.152), 10/2 (0.2324), 11/2 (0.1416), 12 (0.253), 18/1 (0.063), 19/2 (0.2529), 20/2 (0.0451) कुल 164787.57 वर्गफुट यानि 1.5311 हैक्टर भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 7739-7742 दिनांक 15.03.2022 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:89/ले.आ.प्लान/2021/हनुमानगढ़/2034 दिनांक 21.01.2022 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। परिषद् एम्पावर्ड कमेटी बैठक क्रमांक 27531 दिनांक 28.02.2022 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:89/ले.आ.प्लान/2021/हनुमानगढ़/2034 दिनांक 21.01.2022 को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79 व 80 कुल 08 भूखण्ड परिषद् के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लॉट परिषद् द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजरर्स / खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर करवाये जावेंगे और इस संबंध में परिषद् किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
- कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
- श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:89/ले.आ.प्लान/2021/हनुमानगढ़/2034 दिनांक 21.01.2022 को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79 व 80 कुल 08 भूखण्ड परिषद् के पास रहन रहेंगे। कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा ज्यो-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेंगे, परिषद् द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यों के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लॉट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद् द्वारा रहनशुदा प्लॉट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें एवं शर्तों की पालना की जावेंगी।
- संबंधित कोलोनाईजर/खातेदारों पर 100/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरुद्ध बैचान आदि करने पर नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
- रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बैचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10रु. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

क्रमांक: एफ 8 भूमि () 2022/

प्रतिलिपि -

- खातेदार/कोलोनाईजर श्री बलजिन्द्र सिंह-श्री कुलविन्द्र पिसरान श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 03, चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
- भूमि शाखा, नगरपरिषद् को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त

नगरपरिषद्, हनुमानगढ़
दिनांक :

आयुक्त

नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक : नपह/भूमि (कृषि)/2024/ 12088

दिनांक: 12-2-2024

श्री बलजिन्द्र सिंह—श्री कुलविन्द्र सिंह पिसरान श्री नक्षत्र सिंह
जाति जटसिख
निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला
हनुमानगढ़।

विषय : आन्तरिक विकास पेटे रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त करने बाबत।

प्रसंग : आप द्वारा BNK के भूखण्ड रहन मुक्त करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आपके स्वामित्व की भूमि में चक नं. 51 एनजीसी पत्थर नं. 129/255 मु.नं. 11 किला नं. 5/4 (0.0693), 6/2/(0.0058) पत्थर नं. 130/255 मु.नं. 12 किला नं. 1/1/(0.228), 2/12/3 (0.088), 9 (0.152), 10/2 (0.2324), 11/2 (0.1416), 12 (0.253), 18/1 (0.063), 19/2 (0.2529), 20/2 (0.0451) कुल 164787.57 वर्गफुट यानि 1.5311 हैक्टेयर भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत प्लान में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1209-1210 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। उक्त वाणिज्यिक योजना में भूखण्ड संख्या 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79 व 80 कुल 08 भूखण्डों को आन्तरिक विकास कार्यो पेटे रहन किये गये थे। नगरपरिषद कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर भूखण्ड संख्या 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79 व 80 कुल 08 भूखण्डों को रहनमुक्त किया जाता है।


आयुक्त

नगरपरिषद् हनुमानगढ़

LAYOUT PLAN/BUILDING PLAN TECHNICALLY

APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS

OFFICE LETTER NO. 2034 DATED 21/01/2022

सहायक नगर निरीक्षक
कार्यालय, वरिष्ठ नगर निरीक्षक
बीकानेर, बीकानेर

उद्योग नगर नियोजन

प्रमाणित प्रतिलिपि

आयुक्त
भारत परिसर, हनुमानगढ़

LAND USES OF SCHEME :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQFT)	(%)
1	COMMERCIAL	80851.91	49.04
2	INFORMAL	3333.42	2.02
3-A	COMMON PARKING	8096.83	04.91
3-B	INDIVIDUAL PATH & PARKING	9537.08	05.75
TOTAL PARKING		17633.91	10.70
4	PARK	8251.00	05.01
5	FACILITY	8252.60	05.01
6	ROADS	46464.73	28.19
TOTAL AREA		164787.57	100.00
MIX USE AREA		97504.63	59.17%
M.I. AREA		065611.17	39.82%
MASTER PLAN ROAD AREA		1671.77	0.01%

**EXCLUDING MASTER PLAN ROAD & 60'-0" WIDE ROAD
OVER REVENUE TRACK 16'-6" WIDE:-160546.61 SQFT.**

MEDICAL INSTITUTION :-	62456.89 =38.90 %
MIX LAND USE	:-98089.72 =61.10 %
TOTAL AREA	:-160546.61=100.00 %

मुलाविकु राजस्व रिकॉर्ड न्यक 5/1967 के नमूना एवं जमाबंदी के आवेदन बलविन्दसिंह, कुलविन्दसिंह की रुषि धूमि एवं सड़क अर्थात् अथ काश्तगार की रुषि धूमि नहीं हैं। मध्य स्थित धूमि सड़क की हैं।

LAND USE AND AREA
ANALYSIS CHECKED

~~निष्ठ अभियन्ता~~
नगर परिषद हनुमानगढ़

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद् हनुमानगढ

आयुक्त
नगर परिषद, हनुमानगढ़

1. सैट बैक्स राजस्थान भवन विनियम के अनुसार रखे जायें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावे।
3. भूमि के लिये **KILLA NO. 15**, भू-स्वाधिन एवं न्यायिक वाद की जाँच न्याय/पालिका/परिषद् स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, जर्क व खुला क्षेत्र न्याय/पालिका/परिषद् में निहित होंगे।
5. सुविधा क्षेत्रों का निरन्तरण/क्रियन्वयन राजस्थान टाउन शिप पालिसी 2010 के अनुसार किया जावे।
6. योजना का निम्नलिखित से पूर्व भाग पर सुविधा मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में मूखण्ड सख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किया जावे।

इंजीनियर्स पॉइन्ट
A-72, रॉयल ड्रीम लैंड, हनुमानगढ़ जं.
नगर मित्र
पंजी.सं. सीटीपी राज./नगर मित्र-2021 (423)/343

OWNER'S NAME :-
MR.KULVINDER SINGH, BALJINDER SINGH, S/O MR. NAKSHATRA SINGH